

शैक्षिक चिन्तन

सम्पादक
प्रो. वी. एल. जैन



ISBN : 978-81-920597-1-6

कृति : शैक्षिक चिन्तन

सम्पादक : प्रो. बी. एल. जैन

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष-शिक्षा विभाग
जैन विश्वभारती संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय),
लाडनूँ 34 1306 (राजस्थान)

सम्पादक मण्डल :	डॉ. मनीष भटनागर	डॉ. भावशाहीप्रधान
	डॉ. विष्णु कुमार	डॉ. अमिता जैन
	डॉ. सरोज राय	डॉ. बिरिराज भोजक
	डॉ. आभा सिंह	डॉ. बिरधारी लाल शर्मा

संस्करण : मई, 2018 (प्रथम)

मूल्य : 200/-

प्रकाशन : महावीर पथ पब्लिकेशन
(प्राच्यविद्या एवं जैन संस्कृति संरक्षण संस्थान)
लाडनूँ -34 1306 (राजस्थान)
Ph. 7220089301, 7220089302,
www.pvjss.com, email: pvjss108@gmail.com

कम्प्यूटराईज्ड : वैशाली ग्राफिक्स, लाडनूँ

मुद्रक : जैन कम्प्यूटर, बापूनगर, जयपुर (राजस्थान)

अनुक्रमिका

1. शैक्षिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- प्रो. बी. एल. जैन 01-06
2. अध्यापक शिक्षा की समस्याएं
- डॉ. ऋषीधर अटनवाल 06-11
3. Action Research : A Remedial Device in Teaching English in India
- Dr. Bhabagrahi Pradhan 12-16
4. अध्यापकों की सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक स्तर सम्बन्धी समस्या एवं समाधान
- डॉ. विष्णु कुमार 17-23
5. राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी तथा उसकी ई-सुविधाएं
- डॉ. अमिता जैन 24-27
6. वर्तमान शिक्षा के मूल्यों के बदलते प्रतिमान एक चुनौती समाधान
- डॉ. सरोज राव 28-31
7. अध्यापक शिक्षा : पाठ्यचर्या विकास के नूतन आवाम
- डॉ. निरंजन भोजक 32-36
8. शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता
- डॉ. आभा सिंह 37-40
9. अध्यापक शिक्षा में अध्यापन अभ्यास कार्य: समीक्षात्मक अध्ययन
- डॉ. निरधारी लाल शर्मा 41-43
10. सागर ब्लॉक के अंभीरिया गांव के बीड़ी बनाने वाले पालकों का अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का अध्ययन
- डॉ. अश्विनि नौतन 44-49
11. शिक्षा का अधिकार
- सोनम नंजवाल 50-53

अध्यापकों की सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक स्तर सम्बन्धी समस्या एवं समाधान

डॉ. विष्णु कुमार

अध्यापन व्यवसाय को उच्च कोटि का व्यवसाय माना जाता रहा है और किसी भी राष्ट्र का स्तर वहां के अध्यापकों से उँचा नहीं उठ सकता है। अध्यापकों की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर है कि वह कहां तक राष्ट्र की समस्याओं में दिलचस्पी रखता है। राष्ट्र की समस्याओं में दिलचस्पी का अर्थ राजनीति का भाग बन जाना नहीं है। इसका अर्थ है राष्ट्रीय समस्याओं पर विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करना और क्षुद्र, स्वार्थी, सत्ता-लोलुप, राजनैतिक दृष्टि से लिए हुए निर्णयों का प्रतिरोध करना। अगर शिक्षक ही प्रतिरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? दरी की तरह बिछ जाना शिक्षक को शोभा नहीं देता। प्रतिरोध न हो तो धार को मनमानी करने की छूट मिल जाती है। प्रतिरोध अवरोध नहीं है। धार रुके नहीं, मगर संभल कर बहे। संभल कर बहने का पाठ कौन पढ़ायेगा धार को? वही जिसने धार को बहने का पाठ पढ़ाया है। शिक्षक राजनेताओं का निर्माता है, ऐसा न हो कि राजनेता उसका निर्माण करने लगे। बीट्रिस किंग ने लिखा है - उसका (अध्यापक का) घर व्यवसायिक विचारों का केन्द्र है, एक गैर सरकारी परामर्श केन्द्र है, जहां कृषि से लेकर बच्चों के नामकरण तक के विषयों पर सलाह मिल सकती है। जहां समाज और अध्यापक के बीच इस प्रकार के सम्बन्ध बन जाएं वहां न तो अध्यापक के घर में और न विद्यालय में किसी प्रकार का अभाव हो सकता है, और न विद्यालय या अध्यापक किसी की भी ओर, समाज उपेक्षा की दृष्टि रख सकता है।

अध्यापकों का सामाजिक स्तर :-

इस समस्या के कई पहलू हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, महावीर, बुद्ध, कृष्णमूर्ति, विवेकानन्द, कबीर, दयानन्द के उदाहरण देकर अध्यापकों के उस सम्मान का हम उल्लेख करते हैं, जो अतीत में प्राप्त था। अध्यापकों के लिए प्रश्न यह है कि अध्यापक आप सम्मान के अधिकारी हैं? क्या ज्ञान की वही प्यास हमारे अन्दर है, जो प्राचीन अध्यापकों में होती थी जिसके फलस्वरूप विशाल वैदिक वाङ्मय का प्रणयन सम्भव हो सका? क्या चारित्रिक दृष्टि से हम उनके तुल्य हैं? क्या अयोग्य व्यवस्थापकों, नीति निर्धारकों, राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट शिक्षकों को फटकारने का साहस हम में है? अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों के पीछे थोड़े से लाभ के लिए

भागने वाले हमें समाज में शिक्षकों को विशेष प्रतिष्ठा दिलवाना चाहते हैं। अनेक लोगों ने विवशता में ही अध्यापनवृत्ति स्वीकार की है? और स्वीकार कर लेने के बाद भी हम व्यवसायिक नैतिकता तक का पालन नहीं करते हैं अपने युग की चुनौती का सामना करने में असमर्थ शिक्षकों की फौज है। नए समाज की रचना करने में सहायक नहीं, बाधक आवश्यक है। शिक्षक देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं बना रहे हैं। तर्क और विवेक की भाषा नहीं सिखा रहे हैं। सत्य से, जीवन से, अपने यथार्थ में देश के भीतर धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय सहयोग और शोषण, मानवता और दानवता के बीच में जो भी संघर्ष चल रहा है, उसे हम केवल तटस्थ दर्शक की भांति देख रहे हैं या फिर अन्याय या शोषण का साथ दे रहे हैं। "लोग बेईमानी से खुब धन कमा रहे हैं, फिर हम क्यों न कमाएं? हमने क्या ईमानदारी का ठेका ले रखा है?" ऐसे सोचने वाले सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने में भरपूर सहयोग देने वाले, समाज से प्रतिष्ठा पाने की आशा करने का दुस्साहस कैसे करते हैं? अध्यापकों के इस प्रकार के आचरण का ही परिणाम है कि एक सर्वेक्षण में "अनेक संवादियों ने अध्यापक को कुछ इस तरह के विशेषणों से विभूषित किया था— मस्तिष्क में क्षीण, डरा हुआ पशु, दिल और दिमाग में शून्य, परम्परावादी सामंतवादी और अप्रजातांत्रिक, कमजोर, बुजदिल, स्वार्थी और चालाक"।

शिक्षक हीन भावना से ग्रस्त है। कहा गया है कि अकिंचनत्व स्वयं इतना बुरा नहीं है जितना अकिंचनत्व का भाव। सुदामा की पत्नी ने बड़ी आशाओं के साथ अपने पति से कहा था— "हे स्वामी! हम लोग बड़ी दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं। अब तो आपके बालसखा 'द्वारिकानाथ' हो गए हैं। आप क्यों नहीं द्वारिका जाकर उनसे मिलते हैं। वे सर्वज्ञ हैं। आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। बस, आपको देखते ही सारे दुःख दूर कर देंगे।" यह एक दिन की बात नहीं थी। प्रायः सुदामा—पत्नी इसी तरह सुदामा से अनुनय किया करती थी। रात—दिन की चख—चख से सुदामा का ब्राह्मणत्व और उससे ज्यादा शिक्षकत्व, उमर आया और वे गृहलक्ष्मी से डपट कर बोले— "सिच्छक हो सिगरे जग हो तिय ताकों कहा अब देते है सिच्छा।

इस बात को एक जमाना बीत गया है। यह स्वाभिमान सुदामा में ही हो सकता था कि वे सारे जग के शिक्षक हैं इसलिए उन्हें अब किसी 'द्वारिकानाथ' के द्वार पर दस्तक नहीं देनी है। स्वाभिमान आत्मस्वीकृति से आता है। आज के शिक्षक—बन्धुओं में जिस सीमा तक यह आत्मस्वीकृति है, उसी सीमा तक स्वाभिमान है। "मैं शिक्षक हूँ— ऐसा कहते समय सुदामा का सारा दारिद्र्य कहीं विलीन क्यों हो गया था? मैं शिक्षक हूँ— ऐसा कहते आज मेरा सारा दारिद्र्य उभर कर सामने, बल्कि आड़े क्यों आ जाता है?

श्री विलिमय कारर ने शिक्षण—व्यवसाय के संगठनों के विश्वसंगठन के महामंत्री पद से अध्यापकों को सम्बोधित करते हुए कहा था — “इस संसार में अध्यापक का स्तर तब उँचा उठेगा जब वह अपने आपको अध्यापक कहलवाने में गर्व अनुभव करेगा। मैं यह नहीं कहता कि वह अहंकार करे, मैं कहता हूँ कि उसे वास्तव में अपने—आपको अध्यापक कहलवाने का गर्व होना चाहिए। जब भी हम किसी अध्यापक से पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? तो सबके यही कहते सुना है कि “मैं तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ या मैं एक साधारण अध्यापक हूँ” क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को कहते सुना है कि — मैं एक मामूली डॉक्टर हूँ। हम सम्मान के अधिकारी बन जाएंगे, जब ‘मामूली—सा’ और ‘केवल’ शब्द बिल्कुल लुप्त कर दिए जायेंगे और हम कहते हुए हमें गर्व और प्रसन्नता का अनुभव होगा कि मैं एक अध्यापक हूँ।

शिक्षक का स्मरण होते ही हमारी कल्पना में एक ऐसे साधारण सच्चरित्र व्यक्ति का चित्र सजीव हो उठता है, जो अपने आदर्श चरित्र एवं प्रभावी व्यक्तित्व के कारण न केवल बालकों के लिए बल्कि ‘पालकों’ (संरक्षकों) के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। फैशन, शान—शौकत, तड़क—मड़क, और दिखावे से दूर, साधारण स्वच्छा लिबास, आदर्श चरित्र, दुर्व्यसनों से दूर, जलता हुआ दीप हो। एक ऐसा दीप जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। ज्ञानरूपी प्रकाश, जिससे मानवता का पथ आलोकित होता है। अज्ञान का अंधकार मिटता है। इस दृष्टि से शिक्षक के गुरुतर दायित्वों के कारण ही उसे हमेशा गुरु का सम्मान मिलता है। अतः उसके नैतिक कर्तव्य और इन कर्तव्यों में उसकी निष्ठा ही उसे शिक्षक होने का गौरव प्रदान करती है। यह सही है कि चरित्र व्यक्ति की अपेक्षा अधिक उदार, सहिष्णु, सच्चरित्र, सहयोगी दयालु होता है। उसमें इन गुणों का अभाव है तो वह इस गौरव के योग्य नहीं रह पाता। आस्थाहीन, पद की मर्यादा से गिरा हुआ चरित्र शिक्षक के पद के योग्य नहीं। शिक्षक को अपनी नैतिकता का आचरण सदैव बनाये रखना चाहिए। शिक्षक का चरित्र ही एकमात्र वस्तु है जिससे वह अपने आप को समाज के समक्ष रखकर कुछ पाने का अधिकारी बनता है। जिस शिक्षक के पास चरित्र नहीं है, वह बालकों एवं पालकों से कुछ भी नहीं पा सकता। इसलिए अध्यापकों का चुनाव करते समय पूरी सर्तकता बरतनी आवश्यक है उनका चुनाव केवल बौद्धिक योग्यता के आधार पर न किया जाए, वरन् उनके चुनाव का आधार यह हो कि अपने विषय के प्रति उनमें कितना प्रेम है, छात्रों का विकास करने का कितना उत्साह है, नैतिक आचरण कैसा है, आदि। सभी को दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

अध्यापकों में ये सभी गुण हो तो परिणाम सार्थक होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। अपनी खुली आँखों से अपने परिवेश में ऐसे अध्यापक और

समाज में उनका सम्मान, विद्यार्थियों द्वारा जीवनभर शिक्षकों का सम्मान स्वयं देखा जा सकता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। पाकिस्तान के नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अब्दुल कलाम उन दिनों भारत की सदभावना यात्रा पर आये हुए थे। अपनी इस यात्रा में वे कलकत्ता में रहने वाले उनके गुरु प्रोफेसर अमलेन्द्र कुमार गंगोपाध्याय जिन्होंने लगभग 40 वर्ष पूर्व लाहौर कॉलेज में अब्दुल कलाम को गणित का ज्ञान कराया था। प्रोफेसर गंगोपाध्याय अपने छात्रों में "मास्टर साहब" के नाम से प्रसिद्ध थे। अपनी यात्रा के लक्ष्य पर पहुंचकर प्रोफेसर कलाम ने अपने वयोवृद्ध गुरु को नमन किया और फिर उनके चरणों में अपना नोबल पुरस्कार के रूप में प्राप्त स्वर्णपदक रख दिया। भावावेश में जो स्थिति शिष्य की थी, वही स्थिति गुरु की थी। रूँधे गले से प्रोफेसर कलाम ने कहा— 'मास्टर साहिब, आपने जो पढ़ाया था वही मेरे काम आया, यह भेंट स्वीकार कीजिए।' वयोवृद्ध गुरु की भी आँखे छलछला आईं। अपने पुराने और प्रिय छात्र के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा— 'पिछले 35 वर्षों में तुमसे एक बार मिलने की कामना लिए जीता रहा हूँ। आज वह इच्छा फलीभूत हुई। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है'

गुरु-शिष्य प्रेम की यह परम्परा आज के तमाम तनावों और नफरत की आग के बीच भी कमल सी खिली हुई शिक्षक और शिक्षार्थी को अपने अपने कर्तव्य का बोध करा सके तो कितना कल्याण कर सकती है।

अध्यापकों का आर्थिक स्तर:-

अध्यापक बनने के लिए जितनी उपाधियां प्राप्त करनी पड़ती है और अध्यापक से जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है उसके अनुपात में वेतनमान अत्यन्त कम नहीं हैं। फिर इन दिनों जीवन निर्वाह खर्च में वृद्धि, विशेष रूप से बच्चों की पूर्व-प्राथमिक से लेकर व्यवसायिक स्तर तक की पढ़ाई के खर्च में हुई वृद्धि के कारण सभी अवस्थाओं में हुई वेतन-वृद्धि प्रभावहीन हो गई है। पिछले दशक में तेजी से बढ़ने वाली कीमतों के कारण यह वृद्धि नितान्त प्रभावहीन हो गई है, निर्वाह-खर्च भी बहुत बढ़ गया है। यदि वास्तव में चाहते हैं कि अध्यापन के क्षेत्र में अच्छे, योग्य, चरित्रवान् विद्वान आएं और यहां टिके रहें तो हमें शिक्षण व्यवसाय को वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से भी प्रथम-कोटि स्तर का बनाना होगा।

अन्य पहलू यह है कि निजी संस्थाओं में प्रायः स्थायी नियुक्ति और/या निर्धारित वेतन नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है, वह भी समय पर नहीं। अनेक संस्थाओं में प्राविडेण्ट फण्ड की सुविधा नहीं पेंशन की सुविधा तो अपवाद-स्वरूप ही कहीं प्रदान की जाती है। देश की स्थिति यह है कि केवल माध्यमिक स्तर पर

लगभग 51 प्रतिशत (उच्च माध्यमिक स्तर पर 58 प्रतिशत) विद्यालय निजी हैं। सरकारी विद्यालयों की कमी के कारण निजी विद्यालयों में अध्यापकों का पर्याप्त शोषण होता है। अध्यापकों को निजी प्रबंधकों की नियमों की अवहेलना को जान बुझकर नौकरी बचाने हेतु सहना होता है।

समस्या का अन्य पहलू यह है कि एक ओर तो विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतन-क्रम एक से नहीं है। दूसरी ओर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में वेतन-क्रम एक से नहीं है। महंगाई-भत्ता आदि समान नहीं है। विभिन्न विषयों के अध्यापकों के वेतन एक समान नहीं है। (संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत शिक्षक का वेतन सरकारी स्कूल के चपरासी से भी कम है)। कोठारी कमीशन के सुझाव दिया था कि अन्तर-राज्य स्तर पर असमानता दूर की जाए। समान योग्यता और समान दायित्व वाले सभी अध्यापकों को बराबर, एक जैसा वेतन मिलना चाहिए तथा उनके कार्य और सेवा की स्थितियाँ समान होनी चाहिए। उसने यह भी सिफारिश की कि सभी अध्यापकों के वेतन का पांच वर्ष में पुनरावलोकन किया जाए तथा समानता का सिद्धान्त, जिसके अधीन सभी अध्यापकों को महंगाई-भत्ता दिया जाना है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ संलग्न किया जाए। इस प्रकार निर्वाह व्यय की गति के साथ वेतन और भत्ते का मेल स्थापित किया जा सकेगा और अध्यापक अपने व्यवसाय में ही पूर्ण रूप से सन्तुष्ट रहकर अपना सम्पूर्ण ध्यान शिक्षा एवं शिक्षण व्यवसाय पर लगा सकेगा।

अध्यापकों का व्यवसायिक स्तर :-

यह सत्य है कि आज लगभग सभी लोग अध्यापन-व्यवसाय को विवशता में अपनाते हैं और इसलिए अध्यापन के प्रति उनके मन में कोई रुचि नहीं होती। पढ़ाने में उनकी रुचि बस इतनी है कि वेतन पाने के लिए कक्षा में जाना और पढ़ाना आवश्यक है। अधिकतर विद्यालयों में तो शिक्षक मात्र कुर्सी पर बैठे रहते हैं तथा विद्यालय प्रबन्धन द्वारा शिक्षकों को कम वेतन देकर ट्यूशन प्रवृत्ति को बढ़ाने हेतु प्रत्यक्ष कह भी दिया जाता है। अध्यापक अपने अध्ययन की सीमा भी पाठ्यपुस्तकें और उससे अनिवार्य रूप से सम्बद्ध सामग्री ही होती है। सिखाए वही जो सीखना कभी बन्द न करे यह आदर्श वाक्य उनके सामने नहीं होता। परिणामतः उनका व्यवसायिक स्तर उँचा नहीं उठ पाता। दूसरी ओर अगर कुछ अच्छे लोग इस व्यवसाय में आ गए तो कुछ तो अन्धों में काना राजा बनकर उसे आत्म-तुष्टि कर लेते हैं, कुछ किसी दूसरे 'अच्छे' व्यवसाय में भागने की तैयारी करते हैं। परिणामतः व्यवसायिक स्तर इनका भी उँचा नहीं उठता। उधर इन तिरस्कृत, उपेक्षित लोगों को 'राष्ट्र-निर्माता' की उपाधि दिया करता है। सामान्य अध्यापक या तो इस प्रवचन का शिकार होता है या फिर इस सत्य से साक्षात्कार करता है कि राष्ट्र-निर्माता मैं नहीं, ये विधायक और संसद सदस्य हैं। जो उपाधियाँ दिलवाने

में समर्थ है और शिक्षक अपने को उनके हाथ का खिलौना देखकर वह कुण्ठा और संत्रास का शिकार बनता है। व्यवहारिक अनुभव के कारण अध्यापक की महानता समाज के व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती। औसत अध्यापक के जीवन की यही त्रासदी है कि सब कुछ जानते व समझते हुए भी नियमों के बारे में बोल नहीं सकता, परिवर्तन लाने का प्रयास करने में स्वयं को असमर्थ पाता है।

अध्यापकों की व्यवसायिक स्थिति सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं—

1. सभी स्तर के अध्यापकों के लिए त्रिसूत्री लाभ योजनाएं प्राविडेण्ट फण्ड, पेंशन और इश्योरेन्स लागू करनी चाहिए।
2. सभी स्तर के अध्यापकों को, चाहे वे राजकीय विद्यालयों में काम कर रहे हों, चाहे निजी विद्यालयों में, सेवा-निवृत्ति की वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलती है।
3. कोठारी कमीशन का मत है कि अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, और स्वस्थ अध्यापकों के लिए अवधि 65 वर्ष होनी चाहिए।
4. अध्यापकों की सेवा की सुरक्षा करने के लिए उनकी नियुक्ति और स्थायीकरण पर सरकार का शिक्षा विभाग दृष्टि रखे।
5. अध्यापकों की व्यवसायिक योग्यता बढ़ती रहे, इस दृष्टि से प्रत्येक अध्यापक को सेवाकालीन शिक्षण, दीर्घकालिक सेमीनार, ग्रीष्मावकाश-कालीन संस्थान आदि में भाग लेना चाहिए। पांच वर्ष के सेवाकाल में लगभग दो-तीन मास के लिए वह इन कार्यक्रमों में अवश्य भाग ले।

उपर्युक्त सुझावों में न. एक से चार तक के सुझाव मूलतः अध्यापक की आर्थिक स्थिति सुधारने से सम्बद्ध हैं। अध्यापकों की आर्थिक स्थिति सुधारे बिना उसकी व्यवसायिक स्थिति नहीं सुधारी जा सकेगी। श्री विलियम कारर ने अध्यापकों के सामाजिक-आर्थिक-व्यवसायिक स्तर को सुधारने के लिए यूनेस्को को निम्नलिखित सुझाव दिए हैं।

1. विद्यालय का जनता जितना आदर करेगी उतना ही अध्यापकों का स्तर उँचा होगा। अध्यापकों को कम वेतन देना बुरा है और शिक्षा का महत्व कम कर देना उससे भी अधिक बुरा है।
2. वेतन अच्छा है और नौकरी की अधिक सुरक्षा है तो अध्यापकों का स्तर उँचा होगा।
3. अध्यापकों की तैयारी और सेवाकालीन शिक्षा जितनी अच्छी होगी, स्तर उतना ही अच्छा होगा।
4. कक्षा में पढ़ाने की योग्यता अध्यापक में जितनी अधिक होगी उसका स्तर उतना ही अच्छा होगा।
5. व्यवसाय जितना संगठित होगा, उसके सदस्यों का उतना ही अच्छा स्तर होगा।

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

1. अग्निहोत्री रवीन्द्र : आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएं और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007
2. भट्टाचार्य जे. सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2007
3. जोशी दिनेशसिंह, मेहता चतरसिंह, शिक्षक प्रशिक्षण के सिद्धान्त और समस्याएं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007
4. रूहेला एस. पी., विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षण और शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2007
5. सिंह मया शंकर, अध्यापक शिक्षा गुणात्मक विकास, अध्ययन पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, दिल्ली, 2007
6. वर्मा, जे. पी., शैक्षिक प्रबन्धन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007
7. अग्रवाल जे. सी., शैक्षिक तकनीकी तथा प्रबन्ध के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2006
8. व्यास भगवती लाल, सिंह हरपाल, शैक्षिक तकनीकी आवश्यकता और कक्षा-कक्ष प्रबन्ध, राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा, 2006
9. शुक्ला सी. एस., शैक्षिक तकनीकी के मूल तत्व एवं प्रबन्ध, धनपत राय पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2005
10. तलेसरा, हेमलता, पंचौली नलिनी, मानव अधिकार एवं शिक्षा, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर, 2003

रिपोर्ट्स:

1. गर्वर्ननेन्ट ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट ऑफ द सीकेण्डरी, एज्युकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन (1952-53) नई दिल्ली
2. गर्वर्ननेन्ट ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट ऑफ द सीकेण्डरी, एज्युकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन (1964-66) नई दिल्ली
3. गर्वर्ननेन्ट ऑफ इण्डिया, नेशनल पॉलिसी आन एज्युकेशन (1986) मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट, नई दिल्ली
4. पॉलिसी परस्पेक्टिव इन टीचर एज्युकेशन क्रिटिकस एण्ड डोक्युमेन्टेशन, एन. सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली, (1998) नेशनल क्युरीकुलम फ्रेमवर्क एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली,